फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

मंडल जब्बार सिंह बनाम सरकार

/ वर्ष : 12/2016

... आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। पक्षकारान वकील उप० है। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 हेतु पत्रावली दिनांक 16.8.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
16.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। पक्षकारान वकील उप० है। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 6.9.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
6.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। पक्षकारान वकील उप० है। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम पर गौर किया व प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादी द्वारा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एक मध्यस्थ ग्रामदानी (ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा) के विरूद्ध पेश किया गया है जो कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मोहम्मदपुरा सम्वत 2070-2073 के अनुसार ग्राम सभा मोहम्मदपुरा के नाम दर्ज है जो वादी द्वारा प्रति. सं. 1 व 2 के विरूद्ध पेश की गई है इस बाबत प्रति.सं. 3 जरिये ... के द्वारा प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया है कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी भूमि ग्रामदानी की भूमि है जिसको सुनने का अधिकार इस ... एवं ... प्रकरण में कई ... जिनको निरस्त ... नहीं है इस प्रकार ... जमाबंदी सम्वत 2070-73 के अनुसार भूमि ग्राम ... के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो स्वयं ... [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:42:36 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वादी द्वारा भी दावे के पद सं. 4 व 5 में माना है कि उक्त भूमि ग्रामदान ग्राम मोहम्मदपुरा के नाम है अन्य व्यक्तियों के नाम कुछ भूमि का अंकन कर दिया। इस प्रकार स्वयं वादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि ग्रामदान ग्राम दानी दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम ग्रामदान के नाम होने उक्त वाद को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है इस बाबत ग्रामदान एक्ट 1971 के पैरा संख्या 548 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि ग्रामदानी भूमि से सम्बन्धित केसेज की सुनवाई करने का अधिकार रेवेन्यू एवं अन्य कोर्ट को नहीं है। इस प्रकार उक्त ग्रामदानी के केस को न्यायालय हाजा को सुनने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 का उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपख[illegible] [illegible]धिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:42:36 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner